



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092025-266456
CG-DL-E-26092025-266456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4269]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947

No. 4269]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

का.आ. 4389(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ीपुर जिले में NH29 के कि.मी. 30+000 से 88.400 कि.मी. तक के भू-खण्ड (वाराणसी-गाज़ीपुर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि से हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त जिलाधिकारी (वि०रा०) गाज़ीपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या

किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ीपुर जिले में NH29 के कि.मी. 30+000 से कि.मी.88+400) (वाराणसी-गाज़ीपुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित अतिरिक्त भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: गाज़ीपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सैदपुर					
गांव का नाम: देवकली					
1	756	निजी (निजी)	कृषि	0.127 (हेक्टेयर)	0.127
2	760	निजी (निजी)	कृषि	0.1978 (हेक्टेयर)	0.1978
3	795	निजी (निजी)	कृषि	0.0308 (हेक्टेयर)	0.0308
4	796	निजी (प्राइवेट)	कृषि	0.0414 (हेक्टेयर)	0.0414
5	797	निजी (निजी)	कृषि	0.0735 (हेक्टेयर)	0.0735
Total					0.4705

[फा. सं. NHA/11013/2014-LA-NH-29/Notif./PIU-Varanasi/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2025

S.O. 4389(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH29 in the stretch of land from Km. 30+000 to Km. 88+400 (Varanasi - Ghazipur Section) in the district of GHAZIPUR in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, ADM(F&R), Ghazipur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the additional land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 30+000 to Km. 88+400 (Varanasi - Ghazipur Section) of the National Highway No. 29 in the GHAZIPUR District, state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: GHAZIPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Saidpur					
Village: Devkali					
1	756	Private	Agriculture	0.127 (Hectare)	0.127
2	760	Private	Agriculture	0.1978 (Hectare)	0.1978
3	795	Private	Agriculture	0.0308 (Hectare)	0.0308
4	796	Private	Agriculture	0.0414 (Hectare)	0.0414
5	797	Private	Agriculture	0.0735 (Hectare)	0.0735
Total					0.4705

[F. No. NHAI/11013/2014-LA-NH-29/Notif./PIU-Varanasi/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director